Order sheet [Contd]

case No B.A. 436/17

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

19-12-17

आवेदक / आरोपी तुलसी उर्फ तुलसीराम द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता ।

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. उपस्थित ।

आवेदक तुलसी उर्फ तुलसीराम के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 के साथ आवेदक तुलसी उर्फ तुलसीराम की मां श्रीमती गुड़डी बाई के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदक तुलसी उर्फ तुलसीराम का प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया हैं, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही अभिलेख से भी स्पष्ट है।

आवेदक के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति होकर अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। आवेदक दिनांक 17. 09.17 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण की विवेचना में अब आवेदक की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आवेदक से अपराध से संबंधित कोई घातक वस्तु जप्त नहीं हुई है। आवेदक काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। यदि वह और अधिक दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा तो उसका परिवार भूखों मर जावेगा। प्रकरण में सहअभियुक्तगण हीरालाल एवं रिव की जमानत माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हो चुकी है, अतः समानता के आधार पर उसे छोडा जाना न्यायोचित है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से जमानत आवेदनपत्र का घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 16.09.17 को रात्रि 11:20 बजे के लगभग सेवढ़ा रोड कब्रिस्तान के पास अभियुक्तगण राजेश, हीरालाल, तुलसी, सोनू एवं रिव को हरभजन सिंह कुशवाह के घर में डकैती डालने की योजना बनाते समय हथियारों सिहत पकड़ा गया है। राजेश के पास से लोहांगी, हीरालाल के पास से कुल्हाड़ी, रिव यादव के पास से 315 बोर का कट्टा, तुलसी उर्फ तुलसीराम से एक टॉर्च एवं सोनू से लोहे का सिरया जप्त हुआ है। पुलिस बल के द्वारा वापिस लौटने पर प्रधान आरक्षक अमरिसंह के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई है। Order or proceeding with signature of Presiding Officer

म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा—5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त नहीं। जेल अधीक्षक उपजेल गोहद की ओर दिनांक 14.12.17 के आवेदन की फोटोप्रति प्रेषित करते हुऐ अभियुक्त तुलसी की समुचित चिकित्सीय जांच कराई जाकर विस्तृत प्रतिवेदन तलब किया जावे।

प्रकरण अभियुक्त तुलसी की समुचित चिकित्सीय जांच कराई जाकर विस्तृत प्रतिवेदन हेतु दिनांक 22.12.17 एवं आरोप तर्क हेतु दिनांक 13.01.18 को पेश हो।

(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश डकैती गोहद जिला मिण्ड